

>

Title : Need to give special package to the farmers in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत बड़े मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की खेती प्रकृति पर निर्भर है। इसे हम लोग गाँव में कहते हैं भगवान भरोसे। लगातार प्राकृतिक आपदाओं से किसान की फसलों को भारी मात्रा में नुकसान होता आ रहा है। अभी जनवरी के प्रथम सप्ताह में भीषण ठंड हुई और ठंड के कारण मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के किसानों की फसलों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। किसानों की दलहनी फसल, सब्जियाँ और फलों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और भारत सरकार कह रही है कि यह नैचुरल कैलेमिटी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं अपने राज्य का उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे राज्य में 50 जिले हैं। 50 जिलों में से 46 जिलों के किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। लगभग 35 लाख हैक्टियर भूमि में बोई हुई अरहर की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल और सब्जी तथा फलों को नुकसान हुआ और लगभग 7642 करोड़ रुपये की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार कह रही है कि यह प्राकृतिक आपदा में नहीं आता। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने नए आर्यवीसी एक्ट में संशोधन करके प्रति किसान को 11हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिकतम 40हजार रुपये प्रति किसान तक और इस प्रकार 650 करोड़ रुपये अभी तक उन्होंने किसानों को देने का काम किया। भारत सरकार से हम लोगों ने केन्द्रीय अध्ययन दल के वहाँ जाने की मांग की। हमारे मुख्य मंत्री जी अनशन पर बैठ गए। प्रधान मंत्री जी ने फोन करके उनको बुलाया और कहा कि आइए हम बातचीत करने को तैयार हैं। यहाँ पर जब मुख्य मंत्री जी आते हैं तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधान मंत्री जी के साथ उनकी बैठक होती है और वे कहते हैं कि पाला हमारे यहाँ नैचुरल कैलेमिटी में नहीं आता। इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है? वहाँ के किसानों के साथ ज़बरदस्त अन्याय हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आश्चर्यकर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान के आत्महत्या करने का क्या कारण है? हम उन विषयों की ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? तमाम दुनिया भर में सब चीज़ों का बीमा होता है, जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनी हुई है उसमें क्रेडिट कार्ड वाले किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की एक नयी नीति बनाई जाए जिसमें किसान के खेत को ईकाई माना जाए और जो बाज़ार का दाम हो और जितना उत्पादन होता है, उसके अनुपात में उसको फसलों के नुकसान पर बीमा मिले। सवाल यह है कि किसान प्रीमियम कहाँ से जमा करेगा? उसमें यह प्रवधान किया जाए कि प्रीमियम का पैसा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अपने खजाने से जमा करे, तब किसानों का रिस्क कवर होगा और किसानों की आत्महत्याएँ रुकेंगी, अन्यथा माफ़ करिये, किसानों की आत्महत्या रुक नहीं सकती। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसान मर रहा है और सरकार आराम से बैठी हुई है। भारत सरकार को पता ही नहीं है कि किसान किस मुसीबत में है। किसान कर्ज़ के बोझ से लदा हुआ है, रोज़ मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और किसानों की फसल को नुकसान होता है तो वे कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा में नहीं आता। मेरी बहुत स्पष्ट मांग है। आप चाहें तो इस पर सदन से वोट करा लीजिए। हिन्दुस्तान के किसी भी कोने से आने वाले सभी सांसदों की एक ही राय है। इस पर सरकार को नयी नीति बनाने का काम करना चाहिए, मेरी यह मांग है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 2442 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है, वह पैकेज उनको दिया जाए ताकि किसानों को राहत दी जा सके।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : सभापति जी, मैं श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने को संबद्ध करता हूँ।

श्री हुवमदेव नारायण यादव : मैं श्री गणेश सिंह द्वारा रखे गए विचारों से अपने को संबद्ध करता हूँ।

20.00 hrs.

मेरी बहुत स्पष्ट मांग है और आप चाहें तो इस पर सदन में वोट करा सकते हैं, हिन्दुस्तान के सभी सांसदों की एक ही राय है, इसलिए इस पर सरकार को नई नीति बनाने का काम करना चाहिए। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 2442 करोड़ रुपये की मांग की है, उसे दिया जाए...(व्यवधान)